

बाद शिवे से बांध कराने का निर्देश होकर है।  
 प्रतिवादी जखीरे सजावट का काम करवाती बांस्ते जयब  
 दि. 16-9-21 को केस में  
 उपरोक्त मजिस्ट्रेट  
 सीमलवाडा

16-3-21 पञ्जाब के राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना  
 निम्नानुसार कार्य करी गये सीमलवाडा  
 उप। इनके द्वारा पूर्व में उपरोक्त अधिसूचना  
 अन्तर्गत धारा 136 L.P. सी. के अन्तर्गत  
 उपरोक्त अधिसूचना के अन्तर्गत कार्य करवाया जा रहा है  
 क. 84 के अन्तर्गत नं. 538/60/1415 का अधिसूचना  
 15-10 दिनांक को जखीरे रजिस्ट्री नं. 6-9-2013  
 को अन्तर्गत कार्य करवाया जा रहा है।  
 कोई भी अधिसूचना के अन्तर्गत कार्य करवाया जा रहा है।  
 जारी की गये अधिसूचना के अन्तर्गत कार्य करवाया जा रहा है।  
 कि उपरोक्त अधिसूचना के अन्तर्गत कार्य करवाया जा रहा है।  
 युवाओं के अधिसूचना के अन्तर्गत कार्य करवाया जा रहा है।  
 जखीरे के अधिसूचना के अन्तर्गत कार्य करवाया जा रहा है।  
 अधिसूचना के अन्तर्गत कार्य करवाया जा रहा है।

इसके अन्तर्गत अधिसूचना के अन्तर्गत कार्य करवाया जा रहा है।  
 निम्नानुसार अधिसूचना के अन्तर्गत कार्य करवाया जा रहा है।  
 उपरोक्त अधिसूचना के अन्तर्गत कार्य करवाया जा रहा है।  
 नम्बर. 826 डी. 22-10-2013 के अधिसूचना  
 अधिसूचना के अन्तर्गत कार्य करवाया जा रहा है।

अतः उपरोक्त अधिसूचना के अन्तर्गत कार्य करवाया जा रहा है।  
 जारी द्वारा अधिसूचना के अन्तर्गत कार्य करवाया जा रहा है।  
 अधिसूचना के अन्तर्गत कार्य करवाया जा रहा है।  
 अधिसूचना के अन्तर्गत कार्य करवाया जा रहा है।  
 अधिसूचना के अन्तर्गत कार्य करवाया जा रहा है।  
 अधिसूचना के अन्तर्गत कार्य करवाया जा रहा है।  
 अधिसूचना के अन्तर्गत कार्य करवाया जा रहा है।  
 अधिसूचना के अन्तर्गत कार्य करवाया जा रहा है।

उपरोक्त अधिसूचना के अन्तर्गत कार्य करवाया जा रहा है।